संख्या-8/2018-15/38/97-का-4-2018

प्रेषक,

दीपक त्रिवेदी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सचिव,
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग,
इलाहाबाद।

कार्मिक अनुभाग-4 लखनऊ : दिनांक : 25 अप्रैल, 2018

विषय:-सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (मुख्य) परीक्षा की परिवर्तित परीक्षा पद्धति, पाठ्यक्रम तथा साक्षात्कार के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, अपने पत्रांक-278/7-ई-1/2017-18, दिनांक 06 मार्च, 2018 एवं पत्रांक-292/7-ई-1/2017-18, दिनांक 21 मार्च, 2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2. उक्त के क्रम में मुझे यह अवगत कराने का निदेश हुआ है कि लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश द्वारा मुख्य परीक्षा की परिवर्तित परीक्षा पद्धति, पाठ्यक्रम एवं साक्षात्कार के संबंध में उक्त पत्रों के माध्यम से जो संस्तुति/अनुरोध उपलब्ध कराया गया था, उसे इस संशोधन के साथ स्वीकार करने का निर्णय लिया गया है कि वैकल्पिक विषयों में से कोई विषय हटाया नहीं जायेगा एवं चिकित्सा विज्ञान को वैकल्पिक विषयों की सूची में सम्मिलित किया जायेगा। इस संशोधन सहित परीक्षा पद्धति निम्नवत् होगी:-

क्र.सं.	**प्रश्न पत्र**	**पूर्णांक**	**अवधि**	**प्रकृति**
1.	सामान्य हिन्दी	150 (एकल प्रश्न पत्र)	03 घण्टा	परम्परागत
2.	निबंध (माध्यम हिन्दी, अंग्रेजी एवं उर्दू भाषा)	150 (एकल प्रश्न पत्र)	03 घण्टा	परम्परागत
3.	सामान्य अध्ययन-1	200	03 घण्टा	परम्परागत
4.	सामान्य अध्ययन-2	200	03 घण्टा	परम्परागत
5.	सामान्य अध्ययन-3	200	03 घण्टा	परम्परागत
6.	सामान्य अध्ययन-4	200	03 घण्टा	परम्परागत
7.	विद्यमान वैकल्पिक विषयों में चिकित्सा विज्ञान विषय को सम्मिलित करते हुए, इनमें से कोई 01 विषय (भाषा विषयों को छोड़कर अन्य वैकल्पिक विषयों का उत्तर केवल हिन्दी अथवा अंग्रेजी भाषा में दिया जायेगा)	200-200 के 02 प्रश्न-पत्र	03-03 घण्टा	परम्परागत
	योग-	**1500**	**-**	**-**
साक्षात्कार		100	-	-
	कुल योग-	**1600**	**-**	**-**

3. कृपया लोक सेवा आयोग से उक्त संदर्भित पत्रों के माध्यम से प्राप्त संस्तुति/अनुरोध के क्रम में शासन द्वारा लिये गये उक्त निर्णय के संबंध में आवश्यक अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

दीपक त्रिवेदी
अपर मुख्य सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in